



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18112021-231241
CG-DL-E-18112021-231241

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4409]
No. 4409]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 18, 2021/कार्तिक 27, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 18, 2021/KARTIKA 27, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2021

का.आ. 4775(अ).—यतः, मै. माइन्डस्पेस बिजनस पार्कस् प्रा. लि. (पूर्व मै0 के. रहेजा कापॉरेशन प्रा. लि. एवं मै. सिरिन प्रोपर्टीज प्रा. लि.), ने तेलंगाना (भूतपूर्व आन्ध्र प्रदेश) राज्य में पोचाराम ग्राम, ह्यातनगर तालुक, घटकेसर मण्डल, रंगारेड्डी जिला, हैदराबाद में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं (आईटी/आईटीईएस) के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और, यतः केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के राजपत्रों सं. का.आ. 869(अ) दिनांक 01 जून, 2007 और का.आ. 3106(अ) दिनांक 23 अगस्त, 2019 के तहत उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन में क्रमशः 26.895 हेक्टेयर क्षेत्र को अधिसूचित तथा 14.162 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित किया था;

और यतः, मै. माइन्डस्पेस बिजनस पार्कस् प्रा. लि. ने अब उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन से 7.906 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः, विकास आयुक्त, विशाखपत्तनम, एसईजेड, ने विशेष आर्थिक जोन के 7.906 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है और अनधिसूचित भूमि का उपयोग आईटी/आईटीईएस क्षेत्र के लिए बुनियादी ढांचे और कार्यालय स्थानों के विकास के लिए किया जाएगा;

और यतः, तेलंगाना सरकार ने उनके पत्र सं. 1948/आईटी&सी/प्रोम2/2006 दिनांक 02 जुलाई, 2021 के तहत प्रस्ताव को सहमति दे दी है;

और यतः, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य सम्बंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा तेलंगाना (भूतपूर्व आन्ध्र प्रदेश) राज्य में पोचाराम ग्राम, हयातनगर तालुक, घटकेसर मण्डल, रंगारेड्डी जिला, हैदराबाद में विशेष आर्थिक जोन में से 7.906 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्रफल 4.827 हेक्टेयर हो जाएगा। अनधिसूचित क्षेत्र हेतु नीचे तालिका में दिए गए सर्वेक्षण संख्या और क्षेत्र शामिल है,

तालिका

क्रम. सं.	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	पोचाराम	8	2.472
2.		9	4.760
3.		10/6828/1982 (भाग)	0.674
कुल			7.906
उपयुक्त घटाव के पश्चात् एसईजेड का कुल क्षेत्रफल			4.827

[फा. सं. एफ. 2/93/2005-एसईजेड]

विपुल बंसल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th November, 2021

S.O. 4775(E).—Whereas, M/s. Mindspace Business Parks Pvt. Ltd. (formerly M/s. K. Raheja Corporation Private Limited and M/s. Serene Properties Pvt. Ltd.), had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for Information Technology and Information Technology Enabled Services (IT/ITES) at Pocharam Village, Hayathnagar Taluka, Ghatkesar Mandal, Ranga Reddy District, Hyderabad in the State of Telangana (erstwhile Andhra Pradesh);

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, notified an area of 26.895 hectares and de-notified an area of 14.162 hectares vide Ministry of Commerce and Industry Gazette Notifications Number S.O. 869(E) dated 01st June, 2007 and S.O 3106(E) dated 230.820.19, respectively;

AND, WHEREAS, M/s. Mindspace Business Parks Pvt. Ltd. has now proposed for partial de-notification of 7.906 hectares from the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, Visakhapatnam, SEZ has recommended the proposal for partial de-notification of an area of 7.906 hectares of the Special Economic Zone and the de-notified land will be used for developing infrastructure and office spaces for IT/ITES Sector;

AND, WHEREAS, the State Government of Telangana has given its approval to the proposal vide letter No. 1948/IT&C/Prom2/2006 dated 02.07.2021;

AND, WHEREAS, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby de-notifies an area of 7.906 hectares at Pocharam Village, Hayathnagar Taluka, Ghatkesar Mandal, Ranga Reddy District, Hyderabad in the State of Telangana (erstwhile Andhra Pradesh), thereby making the resultant area as 4.827 hectares. The Survey numbers and the area for de-notification are given below in the table, namely: -

TABLE

Sl. No.	Name of Village	Survey No.	Total area (in Hectares)
1.	Pocharam	8	2.472
2.		9	4.760
3.		10/6828/1982 (P)	0.674
Total			7.906
Grand Total Area of SEZ after above deletion			4.827

[F. No. F.2/93/2005-SEZ]

VIPUL BANSAL, Jt. Secy.